

फर्द अहकाम न्यायालय उपखण्ड अधिकारी मावली, जिला-उदयपुर प्रार्थी : श्री भेरूलाल विपक्षी : श्री प्रकाश किस्म मुकदमा – अपील पत्रावली संख्या : 9/19		
क्रमांक	कार्यवाही विवरण	हस्ताक्षर पार्टी तथा सूचनाएं जारी की गईं
	<p>दिनांक : 08.07.2020</p> <p>पत्रावली अपीलान्ट मय अधिवक्ता द्वारा उपस्थित होकर प्रार्थना पत्र तलबी एवं विद्दो का पेश करने पर सिंगे से तलब की गई। पत्रावली में अपीलान्ट द्वारा विद्दो का प्रार्थना पत्र पेश कर निवेदन किया कि प्रकरण में अपीलान्ट एवं रेस्पोजेन्ट के मध्य लोक अदालत की भावना से राजीनामा हो चुका है, अतः राजीनामा हो जाने से अब प्रकरण में कोई कार्यवाही नहीं चाहकर इसी स्तर पर विद्दो करने का निवेदन किया। अपीलान्ट की पहचान उनके अधिवक्ता द्वारा की गई।</p> <p>अतः पक्षकारान के मध्य आपसी राजीनामा हो जाने एवं प्रकरण में अपीलान्ट कोई कार्यवाही नहीं चाहने से पत्रावली में कार्यवाही इसी स्तर पर ड्रॉप की जाती है। पत्रावली फैसल सुमार होकर नम्बर से कम हों। पूर्व में जारी अंतरिम अस्थाई निषेधाज्ञा हटाई जाती है।</p> <p style="text-align: center;">निर्णय खुले ईजलास लिखाया जाकर सुनाया गया।</p> <p style="text-align: center;">(रमेश सीरवी पुनाडिया) उपखण्ड अधिकारी मावली</p>	

